बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा STET, 2019 के संबंध में विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए समिति के पदाधिकारियों की एक चार सदस्यीय कमिटी का गठन श्री नीलकमल, भा.प्र.से. (से.नि.), मुख्य निगरानी पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता में किया गया। इस कमिटी के अन्य सदस्य हैं– 1. श्री संजय प्रियदर्शी, प्रशासनिक पदाधिकारी, 2. श्री निकुंज प्रकाश नारायण, संयुक्त सचिव एवं 3. श्री राजीव कुमार, निगरानी पदाधिकारी।
- इस चार सदस्यीय कमिटी द्वारा STET, 2019 के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों, साक्ष्यों एवं विभिन्न जिलों तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच की गयी।
- जाँच के क्रम में कमिटी द्वारा दिनांक 28.01.2020 को आयोजित STET, 2019 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि–

1. जिलाधिकारी, सहरसा ने भी अपने पत्रांक–46/गो0, दिनांक–28.01.2020 द्वारा STET परीक्षा, 2019 के तहत राजेन्द्र मिश्र महाविद्यालय, सहरसा केन्द्र के संदर्भ में प्रतिवेदित किया है कि "राजेन्द्र मिश्र महाविद्यालय के केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट–सह–प्रेक्षक द्वारा सूचना दी गयी है कि प्रथम पाली की परीक्षा प्रारम्भ होने के समय भारी संख्या में महिला परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा भवन से बाहर निकलकर उपद्रव किया जाने लगा एवं तोड़फोड़ किया जाने लगा। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों द्वारा उपद्रव करने एवं तोड़फोड़ किये जाने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा भी संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के साथ उपद्रवों के विरूद्ध प्राथमिकी की प्रति समर्पित की गयी है, जिसकी संख्या–82/2020, दिनांक–28.01.2020 है।"

2. इसी प्रकार, जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 144/C, दिनांक–29.01.2020 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि "+2 जिला स्कूल, गया केन्द्र पर कुछ परीक्षार्थियों द्वारा OMR/ उत्तर पत्रक/उपस्थिति पत्रकफाड़ने तथा परीक्षा केन्द्र पर बाधा उत्पन्न करने के कारण केन्द्र के कक्षा हॉल एवं कमरा संख्या 18 में असहज स्थिति उत्पन्न हो गई।

उक्त अव्यवस्था की स्थिति में ही संबंधित परीक्षा कक्षों में आवंटित कुल 224 परीक्षार्थियों के विरूद्ध कुल 118 परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा भी दिया गया। परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों का ओ0एम0आर0 शीट भी केन्द्राधीक्षक द्वारा सील पैक कर भेजा गया है।"

अतः उक्त स्थिति के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया है कि +2 जिला स्कूल, गया में प्रथम पाली में कुल 106 परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द की जाय तथा इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी तथ्य भी अंकित है। इन 106 परीक्षार्थियों के विरूद्ध प्राचार्य

सह केन्द्राधीक्षक, +2 जिला स्कूल, गया द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की सूचना अपने पत्रांक 80 दिनांक 18.02.2020 द्वारा दी गई है। दर्ज प्राथमिकी का थाना कांड संख्या 88/2020 है।

3. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–511, दिनांक–31.01.2020 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार एल0पी0 शाही इंटर कॉलेज, पताही, मुजफ्फरपुर केन्द्र पर हंगामे के कारण परीक्षा केन्द्र पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई तथा कुछ परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र से प्रश्न पत्र लेकर बाहर आ जाने के मद्देनजर गोपनीयता भंग होने के कारण उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया था।

4. इसी क्रम में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज ने अपने पत्रांक–346/C, दिनांक–28.01.2020 द्वारा अपर सचिव, शिक्षा विभाग को संबोधित प्रतिवेदन समर्पित किया एवं प्रतिवेदित किया कि महेन्द्र महिला कॉलेज, गोपालगंज के प्रथम पाली में हंगामा हुआ। प्रतिवेदित किया गया कि इस परीक्षा केन्द्र पर कुछ परीक्षार्थी हंगामा कर रहे थे तथा एक वीक्षक, जो प्रश्न पत्र कार्यालय से लेकर पहुँचाने जा रहे थे, उनसे प्रश्न पत्र छीनकर फाड़ दिया तथा उक्त वीक्षक के साथ मारपीट किया गया। ऐसी परिस्थिति में इस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा का संचालन बाधित हो गया।

5. पटना जिला के परीक्षा केन्द्र ए0 एन0 कॉलेज के द्वितीय पाली में आयोजित STET, 2019 के दौरान प्रश्नपत्रों को फाड़ने एवं परीक्षा बहिस्कार करते हुए परीक्षा केन्द्र से बाहर निकलने की घटना के मद्देनजर जोनल दंडाधिकारी, दंडाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक (ए0 एन0 कॉलेज) द्वारा दिये गये संयुक्त प्रतिवेदन में इस परीक्षा केन्द्र के द्वितीय पाली की परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा की गयी।

6. उक्त के अतिरिक्त याचिका सं0–5650/2020 में याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नकों की भी समीक्षा की गयी। उसमें विषय के संबंध में मुख्य रूप से चार विषयों पर के प्रश्न पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई थी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि–

(i) विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों से रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं भौतिकी के प्रश्न पूछे गये हैं। स्नातक स्तर पर वैसे अभयर्थी द्वारा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जन्तु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है साथ ही इण्टर के स्तर पर सभी अभ्यर्थियों द्वारा भौतिकी का भी अध्ययन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विज्ञान विषय में इन सभी विषयों से प्रश्न पूछा जाना उचित है।

(ii) गणित विषय के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र का अध्ययन किया जाना आवश्यक था, और अगर गणित विषय के अभ्यर्थियों से सिर्फ गणित विषय के प्रश्न पूछे गये हैं तो यह सर्वथा उचित है।

(iii) संस्कृत विषय में हिन्दी या सामान्य विज्ञान का प्रश्न नहीं पूछा गया है 51 से 150 तक सभी प्रश्न संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित है, उदाहरण स्वरूप :

प्रश्न: 'भगवान बुद्ध' को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी।

संस्कृत के दर्शन में 'आस्तिक', 'नास्तिक' एवं चारवाक दर्शन की पढ़ाई होती है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों 'नास्तिक' दर्शन की पढ़ाई के अंदर आते हैं। तीसरा दर्शन चारवाक है।

प्रश्न :'सर्वधर्मसम्मेलन' का आयोजन कहाँ किया गया था।

'सर्वधर्मसम्मेलन' का वर्णन+2 लेवल की पुस्तक ''कौस्तुभः'' (SCERT, बिहार) में है।

प्रश्न:भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या है।

भरतमुनि के काव्य–शास्त्र में भरतमुनि के रसों का वर्णन है।

प्रश्न:कात्यायन का दूसरा नाम क्या है।

कात्यायन संस्कृत भाषा के तीन महानतम् व्याकरणाचार्यों में से एक हैं।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि ये सभी प्रश्न संस्कृत विषय के ही है।

(iv) जहाँ तक सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न है, जिसमें अभ्यर्थियों को सहायक विषय/प्रतिष्ठा के अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में से किसी दो विषयों में उर्तीण होना अनिवार्य है, जिसमें अनिवार्यतः एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्रश्न पत्र सभी चार विषयों से पूछा गया है, जो उचित है, परंतु प्रश्न पत्र विन्यस्तकर्त्ता (Question Setter) के द्वारा प्रश्न पत्र विषयवार चार ग्रुप में बाँटना चाहिए था, जिसमें इतिहास एवं भूगोल में से किसी एक विषय का उत्तर देना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होता, शेष तीनों विषयों में से कोई एक विषय का उत्तर देने का विकल्प होता, परंतु, प्रश्न पत्र विन्यस्तकर्त्ता (Question Setter) के द्वारा चारों विषयों को अलग–अलग ग्रुप में नहीं बाँटकर सामाजिक विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक ग्रुप में ही डाल दिया, जो उचित नहीं है।

7. वस्तुस्थिति है कि दिनांक 28.01.2020 को पूरे राज्य में कुल 317 परीक्षा केन्द्रों परSTET की परीक्षा हुई। जिसमें प्रथम पाली में पेपर–1 (माध्यमिक स्तर) में 7 विषयों की परीक्षा ली गई थी तथा उक्त तिथि को ही द्वितीय पाली में पेपर–2 (उच्च माध्यमिक स्तर) में 8 विषयों की परीक्षा सम्पन्न हुई। उक्त 317 परीक्षा केन्द्रों में 5 केन्द्रों, क्रमशः +2 जिला स्कूल गया एल.पी शाही इण्टर कॉलेज पताही मुजफ्फरपुर, महेंद्र महिला कॉलेज, गोपालगंज एवं राजेन्द्र मिश्र महाविद्यालय, सहरसा केन्द्र पर आयोजित प्रथम पाली की परीक्षा संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर रद्द की गई है, जबकि ए॰एन॰ कॉलेज, पटना केन्द्र पर द्वितीय पाली की परीक्षा जोनल दण्डाधिकारी, दण्डाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक के संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में रद्द की गई है।

8. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों की समीक्षा से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त कंडिका संख्या–1, 2, 3, 4, एवं 5 में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर तोड़–फोड़, हंगामा, प्रश्न पत्र फाड़ना तथा मार–पीट जैसी घटनायें हुई हैं। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने प्रश्न पत्र को फाड़ा तथा परीक्षा का बहिष्कार किया उनके द्वारा प्रश्न पत्र को मोबाईल

के माध्यम से जहाँ–तहाँ भेजने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उपर्युक्त कंडिका–6 (iv) में वर्णित प्रश्नों के विषय में प्रश्न पत्र विन्यस्तकर्त्ता (Question Setter) द्वारा चारों विषयों को अलग–अलग ग्रुप में नहीं बाँटकर सामाजिक विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक ग्रुप में ही डाल दिया, जो उचित नहीं है। अतः इन सभी तथ्यों के आलोक में श्री नीलकमल, भा.प्र.से. (से.नि.), मुख्य निगरानी पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा दिनांक 28.01.2020 के दोनों पालियों में हुई परीक्षा को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

9. इस प्रकार, सभी पहलुओं के जाँचोपरांत बिहार बोर्ड द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच समिति द्वारा दिनांक 28.01.2020 को राज्य के कुल 317 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में आयोजित STET, 2019 को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। जांच समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज STET, 2019 के दोनों पालियों में आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, इस आलोक में STET, 2019 की परीक्षा को पुनः आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी।